लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462023
दूरभाष क्र–0755–2583650 ईमेल–cpibhop@nic.in

भोपाल, दिनांकः 15 जनवरी 2021

क्रमांक/समग्र/174/2021/

प्रति,

1. संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र.
2. जिला शिक्षा अधिकारी
   समस्त जिले म.प्र.

विषय– 40 प्रतिशत अथवा इससे कम परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों पर आगामी कार्यवाही विषयक।

—00—

जैसा कि आपको विदित है कि 40 प्रतिशत अथवा इससे कम परीक्षा परिणाम वाली शालाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसी अनुक्रम में दिनांक 3 एवं 4 जनवरी 2021 को शिक्षकों की दक्षता आंकलन परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा उपरांत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. दक्षता आंकलन परीक्षा में अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्यवाही:–

1.1 **हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के अनुपस्थित शिक्षकः–** जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों को नोटिस तामील करवाकर उनका जवाब प्राप्त करेंगें और उस पर अपने अभिमत सहित प्रकरण के निराकरण हेतु राज्य कार्यालय को 18 जनवरी तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराएंगे।

1.2 **माध्यमिक शाला के शिक्षकः–** जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों को नोटिस तामील करवाकर उनका जवाब प्राप्त करेंगे और उसका निराकरण 18 जनवरी तक पूर्ण कर गूगल शीट में प्रविष्टि करेंगे।

1.3 अनुपस्थित शिक्षकों को परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अवसर और दिया जाएगा इनकी परीक्षा 24 जनवरी को आयोजित की जाएगी। तदनुरूप सर्वसंबंधितों को सूचित कर सूचना की तामीली रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखें। शेष व्यवस्थाएं दिनांक 3 एवं 4 जनवरी की परीक्षा के अनुरूप ही होंगी। निलंबित एवं अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों को भी परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा सिर्फ अस्पताल में गंभीर बीमारी के कारण एडमिट अथवा कोविड पॉजीटिव रिपोर्ट जो 10 दिवस से अधिक पुरानी न हो रिपोर्ट उपलब्ध कराने वाले शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकेगी।

2. शिक्षकों का दक्षता आधारित प्रशिक्षणः–

2.1. ऐसे शिक्षक जिन्होनें 70 प्रतिशत अथवा इससे कम अंक प्राप्त किए हैं उनके लिए प्रति शनिवार शाम को 4 बजे से 6 बजे तक विषयवार ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। शिक्षकों का प्रशिक्षण 23 जनवरी 2021 से प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाएगा। अर्थात प्रथम प्रशिक्षण 23 जनवरी 2021 को आरंभ होगा।

2.2 माध्यमिक शाला के शिक्षकों का प्रशिक्षण जिला स्तर से डाइट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक उपस्थित शिक्षक का विधिवत रिकार्ड रखा जाएगा।

2.3 हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयो के शिक्षकों का प्रशिक्षण सम्बंधित शिक्षा महाविद्यालय अथवा प्रगत शैक्षिक संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु संभाग/जिला स्तर पर उपलब्ध रिसोर्सपर्सन्स की सेवाएं भी ली जा सकेंगी।

2.4 प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित टॉपिक पर प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस को प्रत्येक शिक्षक का प्री टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट लिया जाएगा साथ ही प्रत्येक शिक्षक के प्रशिक्षण का संपूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखा जाएगा।

2.5 शिक्षकों की प्रशिक्षण में उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को समय पर सूचित कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगें।

3. **आगामी 2 माह में आयोजित होने वाली परीक्षा की सूचना:–** ऐसे शिक्षक जिन्होंनें अपने विषय की परीक्षा में 50 प्रतिशत अथवा इससे कम अंक प्राप्त किए हैं उन्हें सुधार हेतु 2 माह का नोटिस अविलंब जारी किया जाए **(परिशिष्ट–1 संलग्न सूची)**। मार्च 2021 में इन शिक्षकों की पुनः परीक्षा ली जाएगी तथा सुधार न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

4. **परीक्षा की कॉपी भेजने विषयक:–** दिनांक 3 एवं 4 जनवरी की परीक्षा में उपस्थित शिक्षकों की कॉपी संलग्न **परिशिष्ट–2** में दिए गए दिनांक को राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

5. **नियमित समीक्षा:–** जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक 40 प्रतिशत अथवा इससे कम परीक्षा परिणाम वाले इन विद्यालयों का नियमित भ्रमण करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण

पृ.क्र./समग्र /174/2021 भोपाल दिनांक ....

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया डाइट को प्रशिक्षण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन।
6. कलेक्टर समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. प्राचार्य प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान/प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ भेजकर प्रशिक्षण कराने का लेख है।
9. प्राचार्य डाइट समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण

परिशिष्ट–2

जिलेवार /तिथिवार उत्तर पुस्तिकायें जमा करने हेतु समय सारणी :–

स. क्र.	उत्तर पुस्तिका जमा करने वाले जिले का नाम	दिनांक	समय	प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम
1.	जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल,	18.01.2021	प्रातः10.30 से 1.30 तक	श्री एस.पी. सिसोदिया श्री दिलीप नामदेव
2.	भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, सागर	18.01.2021	दोपहर 2.30 से 5.30 तक	श्री हरीश पाराशर श्री सुदर्शन गुप्ता
3.	सिवनी, मण्डला, डिंडोरी, देवास, छिंदवाड़ा, बालाघाट,	19.01.2021	प्रातः10.30 से 1.30 तक	श्री एस.पी. सिसोदिया श्री दिलीप नामदेव
4.	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, उमारिया, अनुपपुर	19.01.2021	दोपहर 2.30 से 5.30तक	श्री हरीश पाराशर श्री सुदर्शन गुप्ता
5.	ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, अशोकनगर, दतिया	20.01.2021	प्रातः10.30 से 1.30 तक	श्री एस.पी. सिसोदिया श्री दिलीप नामदेव
6.	शिवपुरी, श्योपुर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम	20.01.2021	दोपहर 2.30 से 5.30 तक	श्री हरीश पाराशर श्री सुदर्शन गुप्ता
7.	आगर मालवा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खण्डवा, खरगौन	21.01.2021	प्रातः10.30 से 1.30 तक	श्री एस.पी. सिसोदिया श्री दिलीप नामदेव
8.	बुरहानपुर, इंदौर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, निवाड़ी,	21.01.2021	दोपहर 2.30 से 5.30 तक	श्री हरीश पाराशर श्री सुदर्शन गुप्ता